रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224933 CG-DL-E-04022021-224933

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] No. 479] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

का.आ. 529(अ.).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 44 के साथ पिठत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट उनके नामों के सामने औषधियों के वर्गों के संबंध में सरकारी विश्लेषक नियुक्त करती है, अर्थातु:–

सारणी

क्रम सं.	सरकारी विश्लेषक का नाम, पदनाम और पता	औषधियों के वर्ग
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. संदीप कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, चौधरी चरण सिंह	(i) हैमोरहैजिक सेप्टिसीमिया टीका
	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, उत्तर प्रदेश ।	(ii) रानीखेत रोग टीका ।
2.	डॉ. श्वेता रघुवंशी, संयुक्त निदेशक, चौधरी चरण सिंह	(i) हैमोरहैजिक सेप्टिसीमिया टीका
	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, उत्तर प्रदेश ।	(ii) रानीखेत रोग टीका ।

717 GI/2021 (1)

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एक्स.11035/285/2018-डीआरएस] डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2021.

S.O. 529(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Government Analysts for the whole of India in respect of the classes of drugs specified against their names in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Serial	Name, designation and address of the	Class of drugs	
number	Government Analyst		
(1)	(2)		(3)
	Dr. Sandeep Kumar Singh,	(i)	Haemorrhagic Septicaemia vaccine;
1.	Joint Director, Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health, Baghpat, Uttar Pradesh.	(ii)	Ranikhet Disease vaccine.
	Dr. Sweta Raghuvanshi,	(i)	Haemorrhagic Septicaemia vaccine;
2.	Joint Director, Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health, Baghpat, Uttar Pradesh.	(ii)	Ranikhet Disease vaccine.

2. This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. X.11035/285/2018-DRS]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.